न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 122/2025 G.C.M.S. No. 2025/750 दर्ज दिनांक :19.11.2025

अपीलार्थी:

1. गोविन्दराम पुत्र जेपाराम, जाति माली, निवासी भैसवाड़ा, तहसील आहोर, जिला जालोर
2. लक्ष्मीदेवी पत्नी गोविन्दराम, जाति माली, निवासी भैसवाडा, तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति अग्रवाल, निवासी आंखो के अस्तताल जालोर तहसील व जिला जालोर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर जिला जालोर
3. उपपंजीयक आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2024 बअनवान महेन्द्र कुमार बनाम गोविन्दराम में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मधुसूदन व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2024 बअनवान महेन्द्र कुमार बनाम गोविन्दराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट महेन्द्र कुमार द्वारा एक वाद सहायक कलेक्टर आहोर में इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा गोदन पटवार हल्का गोदन तहसील आहोर में भूमि खसरा संख्या 1243/1410 रकबा 0.2750 हैक्टर किस्म चाही दोयम रकबा 0.2200 हैक्टर, जाव दोयम 0.550 हैक्टर अपीलांट संख्या 02 लक्ष्मी देवी के नाम की खातेदारी की आयी हुयी है। खसरा नम्बर 1262/1245 रकबा 0.3250 हैक्टर किस्म चाही दोयम 0.3050 हैक्टर, जाव दोयम 0.0200 हैक्टर कुल रकबा 0.3250 हैक्टर अपीलांट संख्या 01 गोविन्दराम के नाम की आयी हुयी है। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने इकरारनाम दिनांक 25.08.2021 के जरिये खरीदा था। उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक महिने में इकरार नामे वर्णित राशि अदा नहीं करने पर अपीलांट संख्या 01 ने अपीलांट संख्या 02 को जमीन का बेचान कर दिया। इसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत किया गया। इसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को सुने बिना आदेश पारित किया। दिनांक 21.08.2024 के आदेश में विचारण न्यायालय ने वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी की पालना हेतु अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी पेश करने हेतु निर्देशित किया। इस प्रकरण में दिनांक 21.08.2024 के आदेश में वर्णित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी की पालना नहीं की गयी। वाद पत्र तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तथ्यो से एक स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 महेन्द्र कुमार खातेदार नहीं है। अपीलांट अभिलेखीय खातेदार है। खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि के विपरीत है। न्यायालय सहायक कलेकटर आहोर द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानकारी दिनांक 25.09.2025 को होने पर नकलो हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया और नकले दिनांक 25.09.2025 को प्राप्त हुयी। इस प्रकार नकल प्राप्त होने की दिनांक को आदेश की जानकारी होने से यह अपील अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 को निरस्त किया जावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2024 को अंतरिम अस्थाई व्यादेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अतः आदेश की दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में पारित अस्थाई अंतरिम व्यादेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में इकरारनामा दिनांक 25.08.2021 के आधार पर अपीलांट प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत वादपत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादपत्र के गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारे विनम्र मत में यह स्वीकृत विधिक स्थिति है कि स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष बाबत वादपत्र प्रस्तुत करने का वाद अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

केवल अभिलिखित खातेदारान को ही प्राप्त है। वादी द्वारा न तो खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत अनुतोष चाहा गयां है एवं न ही कथित इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालयो को ऐसा अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार है। ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वादी प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला ही नही बनता। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक स्थिति पर विचार एवं विवेचन किए बिना एवं अपने विनिश्चय के कारण दर्शित किए बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा यांत्रिक रूप से प्रतिवादीगण खातेदारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। जो किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः उक्त आदेश में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है तथा अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है।

4. चुकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है तथा इस स्तर पर प्रार्थना पत्र का अंतिम विनिश्चय अपेक्षित नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय को विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित किए जाने बाबत् निर्देशित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2024 बअनवान महेन्द्र कुमार बनाम गोविन्दराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 को अपास्त करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र 60 दिवस के भीतर विधिनुरूप निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली